हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.9.19 वकील वादी उप०। पत्रावली में बहस रखी गई वास्ते आदेश हेतु 11.9.19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (प्र., 11.9.19 वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88, 180 RT Act का खारिज किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। खारिज सहायक कलक्टर (प्र.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर
बेईजलास– श्री दीपांशू सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 100/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पदमाराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल (भाम्बी) निवासी पीपासर तहसील व जिला नागौर के कायम मुकामान 1/1 मुन्नीराम पुत्र पदमाराम 1/2 निम्बाराम पुत्र पदमाराम 1/3 लाली पत्नि पदमाराम		1. सर्वसाधरण 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर

वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 11.9.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

यह है कि साबिका खसरा नम्बर 208 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा पीपासर सेटलमेन्ट से पूर्व भैराराम, तनाराम पुत्रगण पूर्णराम जाति ब्राहम्ण गुजर गौड के कब्जे काश्त एवं खातेदारी का खेत था। उक्त सम्पूर्ण खेत को मुझ वादी ने तनाराम से दिनांक 9.4.1964 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया, जिस विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 9 के पृष्ठ संख्या 63–64 बसिलासला नम्बर 56/64 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। खरीद के वक्त पर्चा लगान में तनाराम के साथ साथ उसके भाई भैराराम का नाम भी दर्ज था एवं भैराराम का स्वर्गवास बेचान के समय से पूर्व ही हो चुका था। उसके कोई वारिस नहीं होने से सम्पूर्ण खेत का खातेदार काश्तकार तनाराम ही था। जिसका इन्द्राज तनाराम पुत्र पूर्णराम ने विक्रय पत्र में भी दर्ज किया था एवं बेचान से पूर्व भी सम्पूर्ण खेत पर मुझ वादी का ही कब्जा व काश्त था, जिसका इन्द्राज भी विक्रय पत्र में किया गया।

यह है कि खेत हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा पीपासर का राजस्व रेकर्ड खतौनी में बिना विक्रय पत्र को पढे ही पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड खतौनी में पदमाराम के स्थान पर परमाराम वल्द केसाराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं 1/2 हिस्से में खाली जगह छोडकर बेवा भैराराम दर्ज कर दिया, जबकि वक्त बेचान भैराराम या उसकी पत्नि में से कोई भी जीवित नहीं थे एवं सम्पूर्ण खेत का खातेदार काश्तकार मात्र तनाराम पुत्र पूर्णराम ब्राहम्ण निवासी पीपासर ही था एवं विक्रय के बाद सम्पूर्ण खेत का खातेदार वादी क्रेता का हो गया एवं आज दिन भी है।

यह है कि दिनांक 9.4.1964 से पूर्व भी इस खेत पर मुझ वादी का ही कब्जा काश्त था, जो गिरदावरी से स्पष्ट है। पिछले 50 साल से मुझ वादी का ही सम्पूर्ण खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा पीपासर पर कब्जा व काश्त है एवं खेत के चारो तरफ सीमाऐं है, जिसमें मुझ वादी की वर्षो पुरानी ढाणी बनी हुई है, पशुओं का बाडा है, ढाणी में विद्युत कनेक्शन है, मुझ वादी के अलावा इस खेत पर किसी का भी कोई कब्जा अथवा अधिकार नहीं है। फिर भी तनाराम एवं भैराराम का स्वर्गवास हो जोन से एवं उनके पीछे कोई वारिस न होने से वाद राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर एवं सर्वसाधारण को प्रतिवादी पक्षकार बनाकर दावा हाजा पेश किया गया है।

यह है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड खतौनी में मुझ वादी का नाम पदमाराम लिखा है, लेकिन मुझ वादी के पिता का नाम केशाराम है, लेकिन भैराराम लिख दिया गया है, जबकि सम्पूर्ण खेत का विक्रय

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

पत्र दिनांक 9.4.1964 को मुझ वादी के पक्ष में कर दिया गया एवं उसके बाद लगातार कब्जा व काश्त भी मुझ वादी का ही रहता चला आ रहा है। जिससे राजस्व रेकर्ड खतौनी के इन्द्राज में सुधार कर सम्पूर्ण खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 40 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा पीपासर की घोषणा माफिक विक्रय पत्र दिनांक 9.4.1964 के वादी के पक्ष में की जाना कानूनी आवश्यक होने से वादी की ओर से यह वाद वास्ते घोषणा हक खातेदारी का पेश किया गया।

वादी वकील ने वाद के समर्थन में पी डब्ल्यू 1 मुनीराम गवाह भंवरसिंह, गवाह शालूराम, गवाह करणीसिंह, गवाह निम्बाराम के बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 8 तक प्रस्तुत किये। बहस वकील वादी सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों पर बल दिया एवं निवेदन किया कि साबिका खसरा नम्बर 208 रकबा 40.14 बीघा हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा मौजा पीपासर सेटलमेन्ट से पूर्व भैराराम, तनाराम पुत्रगण पूर्णराम जाति ब्राहम्ण के कब्जे काश्त की खातेदारी का खेत था। उक्त सम्पूर्ण खेत को मूल वादी ने खातेदार तनाराम से दिनांक 9.4.1964 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया। खरीद के वक्त पर्चा लगान में तनाराम के साथ साथ उसके भाई भैराराम का नाम भी दर्ज था एवं भैराराम का स्वर्गवास बेचान के समय से पूर्व ही हो चुका था एवं भैराराम के कोई वारिस नहीं था। खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा मौजा पीपासर का राजस्व रेकर्ड में बिना विक्रय पत्र को पढे ही हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड में पदमाराम के स्थान पर परमाराम वल्द केसाराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं 1/2 हिस्से में खाली जगह छोडकर बेवा भैराराम दर्ज कर दिया। जबकि वक्त बेचान भैराराम या उसकी पत्नि में से कोई जीवित नहीं थे। उक्त सम्पूर्ण खेत पर आज दिन तक कब्जा काश्त उक्त विक्रय पत्र के आधार पर मुझ वादी को प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादी की तरफ से जबाबदावा भी प्रस्तुत किया गया था।

बहस वकुलाय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 208 रकबा 40.14 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा मौजा पीपासर सेटलमेन्ट से पूर्व भैराराम, तनाराम, पुत्रगण पूर्णाराम जाति ब्राहम्ण के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत था। जो सम्वत 2010–13 में साबिका खसरा नम्बर 208 रकबा 40.14 बीघा खातेदारी में दर्ज है एवं नकल खतौनी सम्वत 2014 से 2017 में भैराराम, तनाराम पिसरान पूर्णाराम कौम ब्राहम्ण साकिन देह डोलिदार दर्ज है एवं साबिका खसरा नम्बर 208 रकबा 40.14 बीघा बारानी 2 माईन्स दर्ज है एवं खतौनी मौजा पीपासर सम्वत 2020 में हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा परमा वल्द केसाराम हिस्सा 1/2 कौम भाम्बी एवं .....बेवा भैराराम ब्राहम्ण 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जो सम्वत 2047–50 में भी दर्ज साबित है। राजस्व कर्मचारियों ने भैराराम की पत्नि के 1/2 हिस्से में खातेदारी दर्ज नहीं कर बेवा भैराराम दर्ज कर दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र मुन्नीराम वल्द पूर्णाराम कौम ब्राहम्ण साकिन पीपासर ने मुस्मी पदमाराम वल्द केसाराम कौम भांबी अकेले के द्वारा विक्रय किया गया था। जबकि भैराराम के वारिसान के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। वादग्रस्त खेताय डोली की भूमि होना खतौनी सम्वत 2014–17 से साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा मौजा पीपासर का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

निर्णय आज दिनांक 11.9.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास दीपांशू सांगवार, आर. ए. एस.

वादी

1. पदमाराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल (भाम्बी) निवासी पीपासर तहसील व जिला नागौर के कायम मुकामान
1/1 मुन्नीराम पुत्र पदमाराम
1/2 निम्बाराम पुत्र पदमाराम
1/3 लाली पत्नि पदमाराम

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सर्वसाधरण
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर

मुकदमा नं 100 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदइ ———मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि –

वादी का वाद खसरा नम्बर 264 रकबा 40.14 बीघा मौजा पीपासर का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.9.19 को जारी की गई।

(दीपांशू सांगवार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	–	–	स्टाम्प वकालात नाम	–	–
स्टाम्प वकालात नाम	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	–	–
मुतफर्रिक	–	–			
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो करीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(दीपांशू सांगवार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर